

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2016—फाल्गुन 27, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. 10024-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 17 मार्च 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१६.

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की धारा ८ में, उपधारा (३) में, शब्द "साठ दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "एक कार्य दिवस के भीतर" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१६-१७ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग-२ में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु, मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में आवश्यक संशोधन किया जाना है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १६ मार्च, २०१६.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.